

2022/214

राजस्थान सरकार

AMK

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, विजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
द्वारा 212	262/22	24.6.22	S/7/22 AMK	

अनवान

श्री भवतंरी देवी व/० देबीलाल

श्री काबा 5/० देबीलाल कुम्हार

निवासी विजौलिया थुर्क

निवासी विजौलिया थुर्क

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोंडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री जगदीश चन्दर धाकड

श्री

40

AV

बालुसरा

G-2022/22

2022/214

पोली स्टेशनरी, मांडवगढ़ 230289

5/7/22
24.8.22
2.11.22

राजस्थान सरकार

ता. पेकी स्टेशन

(कायदा — 129)

जनरल रूलस सिविल रूलस 129 अपेन्डिक्स फार्म नम्बर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा (राज.)

क्रिम मुकरमा 1	नम्बर मुकदमा 2	दारीक दायर 3	दारीक फंसवा 4	फंसवा कमाक 5
प्रा 212 212	262/22	24.6.2022	5/7/23 A/A	

अनबाव

श्री अंवरी देवी पति देवीलाल काना पिता देवीलाल कुम्हार

निवासी बिजौलिया थर्ड बिजौलिया थर्ड (बिबाहो)

अधिकारता बादी / प्रार्थी / अवीलान्त

अधिकारता बादी / प्रार्थी / अवीलान्त
लक्ष्मीनारायण शर्मा

डिकीदार

रेस्पॉन्डेंट / अडयूनान्त

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा
रजिस्ट्रार

FORM NO. III

फर्द आहकम

नियम 26

विजिलियां

मुकाम

अपराधी

बनाम

बाना कर्नाट कर्नाट

नम्बर

269

सन 2022

फिरम मुकदमा 212 RTA

हुकम या कार्यवाही मय इन्शियलस जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

तारीख हुकम

21/12/2021

वादपत्र पत्र सीने से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। बादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल बादपत्र पत्र भेज की जावे। पत्रावली दिनांक 02/01/2022 को वास्ते तलबी/जवाब पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
विजिलियां

05.07.2022

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दोरे पर है। पत्रावली दिनांक 27.07.2022 को वास्ते तलबी/जवाब पेश है।

उपखण्ड अधिकारी

27.07.22

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दोरे पर है। पत्रावली दिनांक 21.08.2022 को वास्ते तलबी/जवाब पेश है।

उपखण्ड अधिकारी

24.08.22

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दोरे पर है। पत्रावली दिनांक 12.10.2022 को वास्ते तलबी/जवाब पेश है।

उपखण्ड अधिकारी

12.10.22

पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपस्थित/विपरीत 1,2,3,5,6,9,10 के अंग शान्त गोरिय डाक डेपुती शोषित पत्रावली है। विपरीत अंग 3 और अतिरिक्त अंगशालि सुरावा न अतिकर पत्र पेश किया नत फूल बागपत्र में शोषित पत्रावली है। अतिरिक्त अंगशालि सुरावा 1 पत्रावली पेश पेश 2 पत्रावली पेश पेश 3 पत्रावली पेश पेश है। पत्रावली पेश दि. 2.11.22 को पेश है।

Handwritten signature and date: 21/12/2021

15/23

पत्रावली पेश हुई। अधिसूचना सं. 20/2017/अ. की तारीख 21/11/23 को जारी की गई। पेश हो।
2 वर्ष खण्ड अधिकारी

12/23

पत्रावली पेश हुई। अधिसूचना सं. 20/2017/अ. की तारीख 21/11/23 को जारी की गई। पेश हो।
2 वर्ष खण्ड अधिकारी

23/12/23

पत्रावली पेश हुई। अधिसूचना सं. 20/2017/अ. की तारीख 21/11/23 को जारी की गई। पेश हो।
2 वर्ष खण्ड अधिकारी

22/8/23

पत्रावली पेश हुई। अधिसूचना सं. 20/2017/अ. की तारीख 21/11/23 को जारी की गई। पेश हो।
2 वर्ष खण्ड अधिकारी

पत्रावली पेश हुई। अधिसूचना सं. 20/2017/अ. की तारीख 21/11/23 को जारी की गई। पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। अधिसूचना सं. 20/2017/अ. की तारीख 21/11/23 को जारी की गई। पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। अधिसूचना सं. 20/2017/अ. की तारीख 21/11/23 को जारी की गई। पेश हो।

2 वर्ष खण्ड अधिकारी

31/8/23

पत्रावली पेश हुई। अधिसूचना सं. 20/2017/अ. की तारीख 21/11/23 को जारी की गई। पेश हो।
2 वर्ष खण्ड अधिकारी

FORM NO. III

फॉर्म अहंकारम (विभाग 26)

मुकाम

बनाम

गोवर्धन दास

212 डा. 23

हुकम या कार्यवाही मय ईना

पत्रावली पेश हुई। अधिसूचना सं. 20/2017/अ. की तारीख 21/11/23 को जारी की गई। पेश हो।
2 वर्ष खण्ड अधिकारी

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलिया
गोवरी नरि-गो बनाम काना वगै
 नं. 262/12 वर्ष

जारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17/23	<p>पत्रावली केरा दुर्द। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित एवं विपक्षी संख्या (9) के अधिवक्ता लक्ष्मीलाल खुरणा उपस्थित। सिविल प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या (9) के विरुद्ध फेर्द कार्यवाही नहीं चलेगी का इन्टरज क्रिया। विपक्षी संख्या (9) को ड्रॉट क्रिया जाता है। विपक्षी संख्या 1 एवं 2 के खिलाफ स्वगत भादेश का सिविल क्रिया। पत्रावली का मजबूत क्रिया। विपक्षी संख्या 1 एवं 2 की भाँर से फेर्द जमाना चेश नहीं हुआ, ना ही वे उपस्थित हैं। फेर्द: प्रार्थी वकी का प्रार्थन - पत्र धारा 212 विपक्षी 1 एवं 2 के हिस्से की खतीमा तब स्वीकर क्रिया जकर भादेश दिया जाता है, कि मूल प्रकरण के निस्तारण तब विपक्षी संख्या (1,2) अपने नाम पर राजस्व भारतीयों को विक्रय स्थानान्तरण नहीं करें एवं राजस्व रेकार्ड की सहायति बनाए रखें। अन्य विपक्षीगणों के विरुद्ध फेर्द उपरोक्त प्रार्थी नहीं चलेगी है, क्योंकि राजस्व रेकार्ड में उनका नाम अंकित नहीं है। पत्रावली केवल शुमार होकर, पब्लिक रिकॉर्ड होकर, मूल पत्रावली के साथ संलग्न होकर नम्बर से कम की जाती है।</p>	<p>विपक्षी नं. 9 के फेर्द को स्वगत भादेश नहीं चलेगा है। <u>गोवरी नरि</u></p>

उपखण्ड अधिकारी
 बिजौलिया जिला-भीलवाडा